प्रेस नोट

थाना जरिया **दिनांक 11.04.2024**

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं अवैध असलहों के निर्माण, बिक्री व संचालन के विरुद्ध चलायें जा रहें अभियान के क्रम में थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शिव सिंह उर्फ सुच्ची पुत्र नन्हे निषाद को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गल्ला मण्डी के पास वहद ग्राम चण्डौत से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना जरिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 89/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शिव सिंह उर्फ सुच्ची पुत्र नन्हे निषाद निवासी ग्राम चण्डौत थाना जरिया जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 24 वर्ष)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0153/2022 धारा 323/504/506 भा0दं0सं0 थाना जरिया जनपद हमीरपुर
2.मु0अ0सं0 89/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जरिया जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतसू 315 बोर नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 रविन्द्र कुमार
2.का0 आनन्द कुमार
3.का0 मनोज कुमार